न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 24 / 2022

बउनवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां जिला–बारां (प्रार्थी)

बनाम

श्री राधेश्याम दाधीच (डीलर) ग्राम पंचायत जारेला, पंचायत समिति अन्ता, तहसील अन्ता, जिला–बारां (राज.) (अप्रार्थी)

प्रार्थनापत्र जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत

उपस्थिति :– 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (प्रार्थी)
2. स्वंय (अप्रार्थी)

आदेश दिनांक– 05.01.2024

1– प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक जनमॉग वसूली अधिनियम,1952 के तहत प्रार्थनापत्र विरूद्व अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, जोरला, पंचायत समिति, अन्ता पर राष्ट्रीय पोषाहार सहायता पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 9.209 क्विंटल गेंहू गबन किये जाने पर राशि 6640/– रूपये वसूल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा रिक्वीजेशन प्रपत्र । प्रस्तुत करने पर दिनांक 19.12.2008 को प्रपत्र–2 धारा–4 के तहत जारी किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र पेश होने पर जनमांग वसूली अधिनियम–1952 के तहत नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा–6 के तहत नोटिस जारी किया जाकर, धारा–4 का प्रमाण पत्र संलग्न कर तलब किया गया।

3– अप्रार्थी ने स्वंय उपस्थित होकर जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी मांगरोल का निवासी है, जिसके नाम एफपीएस डीलरशीप ग्राम पंचायत जारेला की थी जो सन् 1996 व 1997 तक थी जिसमें प्रार्थी ने संतोषपूर्ण कार्य किया और उसके बाद से प्रार्थी ने बीमारी के कारण उक्त डीलरशिप छोड दी थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में पोषाहार गेहूं के 29 नग प्राप्त किये थे जिसकी रिसिप्ट दी थी। उक्त नग बिना नाप तोल के होने के कारण उनको प्रार्थी ने नग के हिसाब से प्राप्त किया था। जिनको प्रार्थी ने समय पर वितरित कर दिया था। उक्त 29 नग के अलावा ... किसी प्रकार से कोई वस्तु या सामान प्राप्त नही किया और न वितरित किया ... प्रार्थी ... अवधि में बीमार रहने के कारण उक्त कार्य छोड दिया गया और ... लिखित में दे दी थी। उक्त अवधि में अगर प्रार्थी की अनुपस्थिति में किसी और ने पोषाहार गेंहू के नग ... किये हो तो वह पंचायत को जानकारी होगी। अतः प्रार्थी के विरूद्व की गई कार्यवाही ... फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2024.01.31 13:04:19 IST
Reason: SelfAttested

4– जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

5— दौराने बहस अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत किये गये विशेष अंकेक्षण में 9.209 क्विं. गेंहू का गबन पाये जाने पर प्रार्थी के स्तर से कई बार नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी अप्रार्थी द्वारा राशि 6640/— रूपये जमा नहीं करवाने पर प्रकरण प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर, अप्रार्थी के विरूद्व उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश पारित किये जावे।

6— दौराने बहस अप्रार्थी स्वंय ने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पास ग्राम पंचायत जारेला की एफपीएस डीलरशिप थी जो सन् 1996 व 1997 तक थी उसके बाद से प्रार्थी ने बीमारी के कारणउक्त डीलरशिप छोड दी थी। प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में पोषाहार गेहूं के 29 कट्टे बिना तौल के प्राप्त किये थे जिसकी रिसिप्ट भी दी थी। जिनको प्रार्थी ने समय पर वितरित कर दिया था। उक्त 29 नग के अलावा प्रार्थी ने किसी प्रकार से कोई वस्तु या सामान प्राप्त नही किया और न वितरित किया। प्रार्थी उक्त अवधि में बीमार रहने के कारण उक्त कार्य छोड दिया गया और उसकी जानकारी विभाग को लिखित में दे दी थी। अतः प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रोप फरमावें।

7— हमने बहस अभिभाषक प्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वयं पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पंचायत समितियों में संचालित राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम की नवम्बर 1995 से नवम्बर 1997 की अवधि की विशेष अंकेक्षण दल द्वारा की गई जांच में हेण्डलिंग एजेन्टों द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति रसीदों से अप्रार्थी डीलर द्वारा प्रस्तुत पोषाहार कूपनों के आधार पर प्राप्त किये गये गेंहू की मात्रा में से समायोजन पश्चात शेष गेंहू की मात्रा के आधार पर वसूली योग्य राशि 6640/— रूपये निकाली गई है।

8— अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी राधेश्याम दाधीच (डीलर) ग्राम पंचायत जारेला, पंचायत समिति अन्ता, तहसील अन्ता, जिला—बारां (राज0) से राजस्थान जनमॉग वसूली अधिनियम, 1952 के तहत राशि 6640/—रूपये मय 13 प्रतिशत ब्याज एवं 10 प्रतिशत कलेक्शन चार्जेज सहित वसूल किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। अप्रार्थी से उक्त राशि वसूल करने हेतु आदेश की प्रमाणित प्रति मय प्रमाणपत्र धारा—4 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बारां एवं जिला राजस्व लेखाकार, बारां को भिजवायी जावे।

आदेश आज दिनांक 26.12.2023 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2024.01.31 13:04:19 IST
Reason: SelfAttested

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बारां
बारां (राज0)